न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2021/74

1. गोपाल आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
2. नन्दलाल बालिग आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
3. भंवरलाल आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
4. सांवलराम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।
5. उद्दा आत्मज देवलाल जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

––अपीलान्टगण

बनाम

1. कजोडी पुत्री भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणदगंज हाल निवासी सुहरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
2. जगन्नाथी पुत्री भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणदगंज हाल निवासी टहला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
3. नटी बाई पुत्री भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणदगंज हाल निवासी रिशंदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कैलाशचन्द नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 03 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.08.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 23/2001 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण के पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि रेस्पो0 के पिता के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमियां

ख0 सं0 165 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 166 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0 सं0 167 रकबा 18 बिस्वा, ख0 सं0 168 रकबा 09 बिस्वा, ख0 सं0 103/1 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अणदगंज तहसील हिण्डोली में विस्थित हैं। जिस पर रेस्पो0 के पिता व व उनका परिवार काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसके पूर्वी भाग पर अपीलांटगण जबरन कब्जा करना चाहते है। इस भूमि के पूर्वी तरफ सरकारी भूमि पर अप्रार्थी अपीलांटगण ने कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीगण भूमि खसरा सं0 103/1 रकबा 10 बिस्वा पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इसी खेत ख0 नं0 103/1 रकबा 10 बिस्वा के पूर्वी ओर से ही प्रार्थी के खेतों पर आने का रास्ता नहर के सहारे सहारे बना हुआ है जिस पर से वर्षों से प्रार्थी व उनका परिवार अपनी भूमियों पर आता जाता रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थी अपने हक व अधिकार की सम्पत्ति से वंचित हो जाएगा। जिससे प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी हर्जे में पूर्ति नहीं हो सकेगी। अन्त में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 103/1 रकबा 10 बिस्वा के किसी भी भाग पर जबरन ताकत के बल पर कोई अतिक्रमण नहीं करे एवं न ही उक्त भूमि के किसी भाग पर जबरन कब्जा कर कोई मकान आदि का निर्माण करे। यदि दौराने मुकदमा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के किसी भूभाग पर जबरन कब्जा कर लिया जाता हैं अथवा निर्माण कर लिया जाता है तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा उसे तुड़वाया जाकर अतिकमित भूमि का कब्जा प्रार्थी को वापस दिलाया जावे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.03.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 19.03.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 19.03.2021 में दिया गया आदेश निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19/03/2021 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने

योग्य हैं। आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15/05/2001 के पश्चात् अपीलान्टस् अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पर गौर किये बिना ही दिनांक 15/05/2001 को जारी किया गया एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश ताफैसला वाद जारी कर दिया हैं, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय में मौके पर अपना कब्जा होने बाबत् कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नही किये हैं, जबकि प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट हैं कि अपीलान्टस् अप्रार्थीगण ने मौके पर एक बाडा एवं एक कमरा बना रखा है, जिसे कृषि सामान, फसल, चारा, खाद आदि डालने के काम में लेते हैं और मवेशियों को बांधते हैं। ऐसी स्थिति में वाद प्रस्तुती की तिथि को रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करते हुऐं केवल मात्र जमाबंदी में नाम होने के आधार पर ही असत्य तथ्यों पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं, जो खारीज किये जाने योग्य हैं। पक्षकारों में मुख्य विवाद का इसी वाद में निर्णय किये जाने हेतु मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई हैं और कमिश्नर नियुक्त किया गया है किन्तु रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने कमिश्नर फीस अदा नही की है और मौके की रिपोर्ट नही मंगवाई हैं क्योंकि मौके पर प्रार्थी रेस्पोडेन्टस् का कब्जा काश्त नही हैं। मौके की रिपोर्ट के अभाव में न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नही आ सकी हैं। न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में अभिभाषकगण की बहस सुनी जाने का तथ्य अंकित कर दिया है किन्तु वास्तव में बहस नही सुनी गई हैं और पक्षकारों के अभिवचन को निर्णयाधार नही बनाया गया हैं। आदेशिका के अवलोकन से ही स्पष्ट हैं कि आदरणीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अभिवचन एवं तथ्यों को निर्णय का आधार नहीं बनाया है। अपीलाधीन आदेश के आधार पर रेस्पोडेन्टस् द्वारा न्यायालय के आदेश के बिना ही मूल वाद में कब्जे का प्रश्न, साक्ष्य से निर्णित किये बिना ही जबरन कब्जा किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं और पक्षकारों के मध्य गत् 20 वर्षो से वाद लंबित होने के बावजूद गुणावगुण पर निर्णय नही हो सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अप्रार्थी देवलाल आ0 श्री नारायण गुर्जर का दिनांक 19/06/2013 को स्वर्गवास हो गया है। जिसके बाबत् रेस्पोडेन्टस् ने कोई कार्यवाही नही की हैं और मृतक व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया हैं। खसरा नम्बर 103 की 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त 10 बिस्वा भूमि पर हमारा एक पक्का कमरा बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में भी हमने पूरे खसरे नही अपितु उसके कुछ भाग पर अपना कब्जा बताया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 में खसरा नम्बर 103 पर अप्रार्थी का कब्जा बताया गया है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2036 में देवा का नाम बताया गया है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2058 में खसरा संख्या 103मि. रकबा 10 बिस्वा में गोपाल आ0 नारायण का नाम बताया गया है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.08.2002 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 103 की तरमीम नहीं हुई है। अतः हमारा 10 बिस्वा भूमि पर निरंतर पिछले 10–50 वर्षो से कब्जा रहा है। जब प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया स्थगन विधि–विरूद्ध

है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2021 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 01 से 03 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। हम प्रारम्भ से ही रिकॉर्डेड खातेदार रहे है तथा हमारी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जे–काश्त में रहे है। चूंकि खसरा नम्बर 103 बड़ा रकबा है अतः इस बड़े रकबे के कुछ भाग पर अपीलांट ने कब्जा कर रखा है। इस विधि विरूद्ध कब्जे की आड़ में अपीलांट मेरी भूमि में दखलंदाजी करता है। मैने तत्समय की खसरा गिरदावरी पेश की फोटोप्रति पेश की है, उक्त खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 की है जिसके अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा नम्बर 165, 166, 167, 168, 103/1 भोज्या वल्द सुखदेव कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इस जमाबंदी में अंकित खसरा नम्बर 103/1 रकबा 10 बिस्वा किस्म बा.चा. पर खरीफ की फसल के कॉलम में फसल का नाम सूड अंकित है। इनका जो भी कमरा व बाड़ा है वह सिवायचक भूमि पर है तथा ये ट्रेसपासर भी है तथा ट्रेसपासर को कोई हक–अधिकार नहीं होते है तथा न ही ट्रेसपासर के कार्य को संरक्षित किया जाना चाहिए। मेरी भूमि खसरा नम्बर 103/1 की भूमि है। यह 103/1 पूरे बड़े खसरे 103 से ही बना है। इन्होने खसरा नम्बर 103 के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है वह विधि विरूद्ध है परन्तु मुझे इससे कोई लेना–देना नहीं है। मेरे रिकॉर्ड व कब्जे–काश्त की भूमि में अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। मैने यह नहीं कहा कि इनके मकान व कमरे को तोड़े। मेरे कब्जे–काश्त व रिकॉर्ड की भूमि पर मैं काबिज हूँ तथा ये उस पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। हमारे प्रार्थन–पत्र की मद संख्या 3 व 4 में स्पष्ट अंकित है कि इनका अतिक्रमण हमारे पड़ोस में है। बीच में एक रास्ता भी है। चूंकि खसरा नम्बर 103 का रकबा बड़ा है तथा उसमें सिवायचक भूमि है, उस पर किसी हिस्से में अपीलांट का कब्जा है तो उससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बंध नहीं है। हमें तो केवल हमारी रिकॉर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 103/1 से मतलब है। हमारे खसरा नम्बर 103/1 में अपीलांट अप्रार्थी कोई दखलंदाजी नहीं करे। विधि अनुसार भी रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार हमारे पक्ष में पूर्व में कई वर्षो से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया है, इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खाारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति नकल खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2035 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 103 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा

में काश्तकार के नाम के कॉलम में देवा s/o नारायण गुजर सा.देह अंकित है, इसमें आगे फसल के नाम के कॉलम में 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित है, क्षेत्रफल के कॉलम में 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित है, मृदा भूमि वर्ग के कॉलम में बंजड अंकित है। फोटोप्रति नकल खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2036 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 103 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में काश्तकार के नाम के कॉलम में देवा s/o नारायण गुजर सा.देह अंकित है, फसल के नाम के कॉलम मे घास 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित है, क्षेत्रफल के कॉलम में 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित है, मृदा भूमि दर्ग के कॉलम में बंजड अंकित है। फोटोप्रति नकल खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2041 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 103 रकबा 10 बिस्वा में काश्तकार के नाम के कॉलम में गोपाल s/o नारायण गुजर सा.देह अंकित है, फसल के नाम के कॉलम में बाड़ा 10 बिस्वा अंकित है, क्षेत्रफल के कॉलम में 10 बिस्वा अंकित है, मृदा भूमि वर्ग के कॉलम में बंजड़ अंकित है। फोटोप्रति नकल खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2058 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 103मि. रकबा 10 बिस्वा में काश्तकार के नाम के कॉलम में गोपाल आ0 नारायण जाति गुजर सा.देह अंकित है, फसल के नाम के कॉलम में मकान व बाड़ा 10 बिस्वा अंकित है, क्षेत्रफल के कॉलम में 10 बिस्वा अंकित है, मृदा भूमि वर्ग के कॉलम में बंजड अंकित है। फोटोप्रति शुद्ध प्रतिलिपी मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 01.08.2002 का है जो पटवारी हल्का अणन्तगंज द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को उनके पत्र कमांक 311/राजस्व/02 दिनांक 12.04.2002 के कम में प्रेषित किया जाना अंकित है। फोटोप्रति माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम कम–2, बून्दी(राज.) के निर्णय दिनांक 10.03.2007 की है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 30 की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 165, 166, 167, 168, 103/1 कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भोज्या वल्द सुखदेव कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 की है जिसके अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा नम्बर 165, 166, 167, 168, 103/1 भोज्या वल्द सुखदेव कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इस जमाबंदी में अंकित खसरा नम्बर 103/1 रकबा 10 बिस्वा किस्म बा. चा. पर खरीफ की फसल के कॉलम में फसल का नाम सूड अंकित है। फोटोप्रति नकल खसरा परिवर्तित तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2058 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 103 मि. रकबा 10 बिस्वा में काश्तकार के नाम के कॉलम में गोपाल आ0 नारायण गुजर सा.देह अंकित है, फसल के नाम के कॉलम में मकान व बाड़ा 10 बिस्वा अंकित है, क्षेत्रफल के कॉलम में 10 बिस्वा अंकित है, मृदा भूमि वर्ग के कॉलम में बंजड़ अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 के अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा संख्या 103मि. क्षेत्रफल 10 बिस्वा किस्म बंजड अंकित है तथा काश्तकार के नाम के कॉलम में सरकारी भूमि सिवायचक लगानी(घ) बंजड भूमि अंकित है। फोटोप्रति नकल नक्शा ट्रेस ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली का है। हस्तगत प्रकरण में मूल विवाद खसरा नम्बर 103/1

को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण का कभी कब्जा नहीं रहा तथा अप्रार्थीगण अपीलांटगण का विवादित भूमि पर अनवरत कब्जा चला आ रहा है तथा उन्होने उक्त खसरा नम्बर पर एक बाड़ा व एक पक्का कमरा भी बना रखा है तथा शेष हिस्से में कृषि उपकरण व चारा आदि रखते है व मवेशियों को बांधते है। रेस्पोडेन्टगण का उक्त खसरा नम्बर 103/1 के सम्बंध में कथन रहा है कि खसरा नम्बर 103/1 उनकी खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रारम्भ से ही उनका कब्जा रहा है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खसरा नम्बर 165, 166, 167, 168, 103/1 भोज्या वल्द सुखदेव कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इस जमाबंदी में अंकित खसरा नम्बर 103/1 रकबा 10 बिस्वा किस्म बा.चा. पर खरीफ की फसल के कॉलम में फसल का नाम सूड अंकित है। इस प्रकार उक्त खसरा गिरदावरी में खातेदार भोज्या जो कि रेस्पोडेन्टगण का पिता है जिसके द्वारा खसरा नम्बर 103/1 पर फसल किया जाना अंकित है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 103/1 पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 का अवलोकन किया जिसके अनुसार अणन्तगंज तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 30 में दर्ज खसरा नम्बर 165, 166, 167, 168, 103/1 कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भोज्या वल्द सुखदेव कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 व फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 103/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्टगण के पिता प्रार्थी भोज्या की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट ने खसरा नम्बर 103/1 पर स्वयं का कब्जा–काश्त होने तथा मकान व बाड़ा उक्त खसरा नम्बर 103/1 में ही बना होने के सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर–मुस्तकिल काश्त(प्रपत्र–14) सम्वत् 2041 व 2058 में जो गोपाल आत्मज नारायण का कब्जा 10 बिस्वा पर अतिकमी के रूप में अंकित वह खसरा नम्बर 103/1 पर नहीं है। जहां तक अपीलांटगण का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.08.2002 का प्रश्न है, उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 103/1, खसरा नम्बर 103/2, खसरा नम्बर 103/3 तथा खसरा नम्बर 103मि. में किसी भी भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं होना अंकित किया है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि मूल खसरा नम्बर 103 में से अलग–अलग आवंटन हुए है। बिना तरमीम के मौके पर कब्जे की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि इनका कब्जा खसरा नम्बर 103मि. सिवायचक की कुछ भूमि पर है परन्तु उस अवैध कब्जे की आड़ में ये रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की भूमि में दखलंदाजी करते है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 01.08.2002 से प्रतीत होता है कि अपीलांट अप्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 103मि. पर हो सकता है। हालांकि अपीलांट अप्रार्थी का यदि खसरा नम्बर 103मि. पर कब्जा भी है तो वह अतिकमण की श्रेणी में ही आता है क्योंकि उन्होने स्वयं के खसरा नम्बर 103मि. के खातेदार होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा नम्बर 103 व इससे बने नए खसरा नम्बर की कोई तरमीम भी नहीं हुई है। जहॉ तक अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मौके की रिपोर्ट

नहीं मंगवाई गई है। हमारे मत में मौके की स्थिति, तरमीम तथा कब्जे–काश्त आदि की स्थिति का निर्णय मूलवाद में अंतिम रूप से निर्णित होगा। हमारे समक्ष स्थिति यह है कि खसरा नम्बर 103/1 के प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है। तथा मूल खसरा नम्बर 103 की तरमीम हमारे समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। जहां तक सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दु का प्रश्न है वह भी खसरा नम्बर 103/1 के रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि अपीलांट प्रथम दृष्टया दस्तावेजों/साक्ष्यों से यह साबित नहीं कर पाए कि उनका कब्जा काश्त खसरा नम्बर 103/1 पर ही है क्योंकि खसरा नम्बर 103 व 103/1 की मौके पर तरमीम के अभाव में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः हमारे मत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनंक 19.03.2021 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा